उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग-2
संख्याः-18/2020/2830/96-आयुष-2-2020-39/2016 टी0सी0-।
लखनऊः दिनांक 30 सितम्बर, 2020

<u>कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि-पत्र</u>

शासनादेश संख्या-14/2020/आ0मि0-107/96-आयुष-2-2020-39/2016 टी0सी0-1, दिनांक 18.09.2020 एवं शासनादेश संख्या-15/2020/आ0मि0-106/ 96-आयुष-2-2020-39/2016 टी0सी0-1, दिनांक 18.09.2020 द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य-योजना, 2018-19 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष राज्यांश निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 18.09.2020 के प्रस्तर-3 में वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

2- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-14/2020/आ0मि0-107/96-आयुष-2-2020-39/2016 टी0सी0-1, दिनांक 18.09.2020 एवं शासनादेश संख्या-15/2020/आ0मि0-106/96-आयुष-2-2020-39/2016टी0सी0-1, दिनांक 18.09.2020 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

लक्ष्मण सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या-18/2020/2830(1)/96-आयुष-2-2020 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, निदेशक, आयुर्वेद योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय आयुष भवन बी-ब्लाक जी0पी0ओ0 काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3. मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, यूनानी/होम्योपैथी निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3, वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, नियोजन अनुभाग-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1-2 एवं आयुष अनुभाग-1
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0बी0एस0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in